132

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /I/2016 निगरानी नि 1130-I-16

1—नारायण सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह
2—धरमवीर सिंह पुत्र सुखवेन्द्र सिंह
3—बलीहार सिंह पुत्र सुखवेन्द्र सिंह
4—गुरुबिन्द्रसिंह पुत्र सुखवेन्द्र सिंह
सभी जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम
मऊ तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

.............आवेदकगण

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

.............अनावेदक

निगरानी विरूद्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के प्रकरण कमांक 53/10—11/170 ख में पारित आदेश दिनांक 03.03.11 के विरूद्व मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा—50 के अंतर्गत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

निगरानी का संक्षिप्त में विवरण :—ग्राम फिलोजपुरा स्थित भूमि सर्वे नं. 312 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेख में गंगाराम, रामकुआर, रामचरण पुत्रगण फागू मु. तुलसा बेवा फागू रतना, रम्मू पुत्रगण बाबु, कल्ली कोशी, गीता पुत्रीया बाबू, कान्या बेवा बाबू आदिवासी के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व पर स्थित होकर दर्ज थी। किन्तु उक्त लोगों को घरू कार्य के लिये रूपये की आवश्यकता थी किन्तु आदिवासी होने के कारण भूमि विकय करने हेतु अपर कलेक्टर श्योपुर जिला मुरैना के समक्ष भूमि विकय करने बावत् भूमि विकय की अनुमति बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय की दायरा पंजी में प्रकरण कमांक 54/96—97/अ—21 पर दर्ज करते हुऐ दिनांक 05.06.97 को उक्त भूमि विकय करने की अनुमति प्रदान की गई जिससे सर्वे नम्बर 312 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा में से हिस्सा 1/2 नारायण सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह ना.बा.सरपरस्त जोगेन्द्र सिंह पुत्र टेहलसिंह जाट सिख ग्राम मऊ को रजिस्टर्ड बंयनामा के आधार पर दिनांक 02.07.97 को भूमि विकय कर दी गई तथा शेष भूमि 1/2 बाबूलाल पुत्र गंगाराम बैरवा

कमंशः............2

R. 1130-I/16 (अस्वीकृत)

16.11.16.

આવેદન [illegible] નોંધ [illegible]

પુકાર [illegible] પક્ષ [illegible] DSJ [illegible] 16.1[illegible]

ને આવેદક [illegible] ઓર્ડર [illegible]

ઓર્ડર [illegible]

[illegible]

[illegible] આવેદક [illegible]

[illegible] પુકાર [illegible]

[illegible]

પક્ષકાર [illegible]

[signature] [illegible]

[initials]